सार्वजनिक सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि नगर निगम शिमला द्वारा शिमला शहर में निर्मित सामुदायिक केन्द्रों, के आबंटन/संचालन हेतू मोहर बन्द निविदाऐं दिनांक 27/7/22 को 2.00 बजे तक आमंत्रित की जाती है। निविदाऐं उसी दिन सांय 3.00 बजे रोटरी टाऊन हॉल, माल रोड़ शिमला में, निविदा खोलने हेतू गठित समिति के समक्ष, इच्छुक निविदाकार या प्राधिकृत प्रतिनिधि की उपस्थिति में खोली जाऐगी।

जिन सम्पतियों की निविदाऐं आमंत्रित की गई है उनका विवरण निम्न प्रकार से है:-

Sr. No.	Particular.	Size	Period	Security Money	Reseve Price P.M.
1.	Community centre at New Shimla.	2 Halls+ lawn	3 Years.	Rs.2,50,000 /-	Rs.3,00,000/- P.A.
2.	Community centre at Krishna Nagar, Shimla.	2 Halls	3 years.	Rs.1,50,000 /-	Rs.2,00,000/- P.A.
3.	Community centre at Chungi Khanna, Kaithu, Shimla.	1 Hall+ kitchen.	3 years.	Rs.1,50,000 /-	Rs.3,00,000/- P.A
4.	Old fiber crates	400	------	Rs. 3,000/-	Rs.30/-Per crates
5.	Iron kabar	---------	------	Rs. 3,000/-	Rs.18/- per kg

नियम व शर्तें:-

1. निर्धारित शर्तो की पूर्ति व धरोहर राशि के बिना प्राप्त निविदा रद्ध कर दी जाएगी और दन पर किसी प्रकार का विचार नहीं किया जाऐगा।
2. उपरोक्त चार्ट में सम्पतियों के समक्ष दर्शाई धरोहर राशि केवल बैंक ड्राफ्ट के रूप में ही स्वीकार की जाऐगी तथा किसी अन्य प्रकार की धरोहर राशि की ट्रांजैक्शन मान्य नहीं होगी। धरोहर राशि बैंक ड्राफ्ट अतिरिक्त आयुक्त/आयुक्त, नगर निगम शिमला के नाम पेंषित कर मोहर बन्द निविदा के साथ ही प्रस्तुत करना होगा।
3. सफल निविदाकार को आबंटित की जाने वाली सम्पति की निविदा राशि की 25% राशि (माल व सेवाकर अतिरिक्त) आबंटन पत्र की तिथि से एक सप्ताह के भीतर जमा करना होगा तथा बकाया 75% राशि के 10 उतर दिनांकित (पोस्ट डेटिड) चैक प्रतिमाह के एंव एक वर्ष के किराये की बैंक गारण्टी, जो आयुक्त/अतिरिक्त आयुक्त, नगर निगम के नाम प्लैज्ड की गई हो, भी कब्जा लेने से पूर्व सम्पदा शाखा में जमा करने होंगे, अन्यथा सफल निविदा को, धरोहर राशि जब्त करते हुए रद्द कर दिया जायेगा व द्वतीय निविदाकार को कब्जा सौपने बारे कार्यवाही की जायेगी।

4. सफल निविदाकार को निविदा राशि पर केन्द्र/राज्य सरकार के निर्देशानुसार 18% जी.एस.टी अतिरिक्त देय होगा तथा माल व सेवाकर दरों में सम्मिलित करके मान्य नहीं होगा। यदि केन्द्र सरकार,राज्य सरकार,नगर निगम शिमला या अन्य द्वारा किसी भी प्रकार का अतिरिक्त कर लगाया जाता है अथवा निर्धारित करों में संशोधन किया जाता है तो निविदाकार को यथानुसार इनका अतिरिक्त तौर पर भुगतान करना होगा।

5. सफल निविदाकार द्वारा जमा की गई धरोहर राशि को प्रतिभूति राशि में परिवर्तित किया जाऐगा, जिस पर कोई भी ब्याज देय नहीं होगा।

6. निविदाकार या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि का निविदा खोलने के समय उपस्थित होना अनिवार्य होगा।

7. आंबटित की जाने वाली सम्पतियों में किसी भी प्रकार का विवाद होने पर आयुक्त नगर निगम शिमला द्वारा लिया गया निर्णय दोनो पार्टियों को मान्य होगा। विवाद की स्थिति में न्यायालय अधिकार क्षेत्र शिमला होगा।

8. निविदा खोलने वाले दिन यदि अवकाश घोषित हो जाता है तो प्राप्त निविदायें अगले कार्य दिवस को निश्चित स्थान व समय पर खोली जायेगी।

9. निविदाओं की राशि निगम द्वारा निर्धारित टैण्डर फार्म में साफ अंकों व शब्दों में लिखनी होगी जिसमें किसी प्रकार की कटिंग अथवा ओवर राईटिंग मान्य नहीं होगी। टैण्डर फार्म नगर निगम शिमला की वैबसाईट से डाउनलोड कर अथवा नगर निगम शिमल की सम्पदा शाखा से किसी भी कार्य दिवस पर निशुल्क प्राप्त किया जा सकता है।

10. निविदाकार को मोहरबन्द लिफाफे पर निविदा का नाम जिसके लिए निविदा भरी गई है, को लिखना अनिवार्य होगा, जैसे, सामुदायिक केन्द्र हेतू।

11. निविदायें अतिरिक्त आयुक्त, नगर निगम शिमला के कार्यालय कक्ष में रखें निविदा बॉक्स में निर्धारित तिथि व समय से पहले डालनी होगी। समय सीमा के समाप्त होते ही निविदा बॉक्स को बन्द/सील कर दिया जाऐगा। व्यक्तिगत तौर पर प्रस्तुत कोई भी निविदा स्वीकार्य नहीं होगी तथा केवल निविदा बॉक्स में डाली गई निविदा ही स्वीकार्य होगी।

12. यदि निविदा डाक द्वारा भेजी जाती है तो यह निगम के कार्यालय में निविदा की तिथि के एक दिन पूर्व सांय 5.00 बजे तक प्राप्त हो जानी चाहिए अन्यथा देर से प्राप्त निविदा मान्य नहीं होगी।

13. यदि कोई निविदाकार नगर निगम की किसी सम्पति दुकानों/स्टालों/पार्किंग/कैन्टीन/गोदाम आदि का देनदार पाया गया तो जो उसकी निविदा है उसे रद्ध कर दिया जाऐगा और ऐसे निविदाकार बारे बाद में पता लगने पर भी उसकी निविदा को रद्द कर दिया जायेगा।

14. उच्चतम निविदाकार को निविदा स्वीकृत होने पर नगर निगम के साथ निगम द्वारा निर्धारित अनुबन्ध एंव शर्तों के अनुसार इकरारनामा/पट्टाविलेख निर्धारित अवधि के अन्दर-अन्दर

निष्पादित करना होगा अन्यथा निविदाकार द्वारा जमा की गई धरोहर राशि को जब्त करते हुए निविदा को रद्ध समझी जायेगी।

15. जिस निविदाकार के पास वर्तमान में निगम सम्पति जैसे पार्किंग/दुकान/स्टाल/कैन्टीन अथवा होर्डिंग का ठेका है, यदि वह उक्त निविदा में भाग लेना चाहता है तो उसे नगर निगम शिमला की सम्पदा शाखा से अदेय प्रमाण पत्र प्राप्त कर निविदा के साथ संलग्न करना होगा, अन्यथा निविदा मान्य नहीं होगी।

16. निविदाओं के अनुबन्ध व शर्तों पर यदि किसी निविदाकार को कोई आपति अथवा सुझाव हो तो वह सम्बन्धित निविदाओं के खोलने से पहले अपनी आपतियां/सुझाव दायर कर सकता है उसके उपरान्त किसी भी प्रकार की आपति/सुझाव मान्य नहीं होंगे।

17. उपरोक्त वर्णित शर्तों के अतिरिक्त यदि कोई निविदाकार निविदाओं के बारे में अधिक जानकारी चाहता हो तो निविदाऐं भरने से पहले किसी भी कार्य दिवस को व्यक्तिगत तौर पर अधीक्षक सम्पदा, नगर निगम शिमला से सम्पर्क कर सकता है।

18. आयुक्त, नगर निगम शिमला को बिना कोई कारण बताए किसी भी अथवा सभी निविदाओं को स्थगित/रद्ध/संशोधित करने का अधिकार सुरक्षित होगा।

19. सफल निविदाकार को सरकार अथवा नगर निगम शिमला द्वारा समय-समय पर जारी समस्त दिशा-निर्देश मान्य होंगे।

20. आयुक्त, नगर निगम शिमला या उसके प्राधिकृत कर्मचारी को पट्टा/निविदा पर आबंटित सम्पति/सम्पतियों का किसी भी समय निरीक्षण करने का अधिकार होगा।

21. इकरारनामा/पट्टा विलेख की शर्तों की उल्लंघना करने पर इकरारनामा रद्ध समझा जायेगा और धरोहर राशि जब्त कर ली जाऐगी।

22. अनुबन्ध की अवधि की समाप्ति पर यदि सम्पति को कोई नुक्सान पाया जाता है तो उस स्थिति में प्रतिभूति राशि से नुक्सान की भरपाई की राशि को काटकर बाकि की राशि बिना ब्याज के वापिस कर दी जाएगी और यदि नुक्सान भरपाई की राशि प्रतिभूति राशि से अधिक की बनती है तो उसकी वसूली सम्बन्धित निविदाकार से करने के उपरान्त ठेका पूरा होने पर निविदाकार को सम्पति का दिया गया कब्जा समाप्त माना जाऐगा।

23. निगम की उपरोक्त सम्पतियां वर्तमान में जिस स्थिति में है उसी स्थिति/सुविधाओं के साथ आबंटित की जाऐगी तथा बिजली, पानी के बिलों का भुगतान व लाईसैंस इत्यादि की औपचारिक्ताऐं सफल निविदाकार को स्वंय अपने स्तर पर प्राप्त करनी होगी।

24. सफल निविदाकार को बिजली व पानी का मीटर लगाने हेतू अनापति प्रमाण पत्र नगर निगम की सम्पदा शाखा से स्वंय प्राप्त करना होगा और इनके लगाने के खर्चे एंव बिलों आदि का भुगतान भी स्वंय करना होगा।

25. सूची में दर्शाई निगम सम्पति में यदि बिजली पानी की कोई राशि देय होगी तो उसका भुगतान सफल निविदाकार को स्वंय करना होगा।

26. समुदायिक केन्द्र के सफल निविदाकार को निगम सदन द्वारा निर्धारित दरों के अनुरूप ही सामुदायिक केन्द्र के बुकिंग चार्जिज लेने होंगे तथा इससे अधिक चार्जिज लिए जाने बारे शिकायत प्राप्त होने पर धरोहर राशि को जब्त कर निविदा को रद्ध करने बारे कार्यवाही अमल में लाई जाऐगी।

27. सफल निविदाकार को सामुदायिक केन्द्र के रख-रखाव/मुरम्मत एंव साफ-सफाई की व्यवस्था स्वंय करनी होगी।

28. सफल निविदाकार द्वारा प्रस्तुत किए गऐ चैक यदि बैंक द्वारा किसी भी रुप से Dishonor कर वापिस किए जाते है तो निविदाकार द्वारा जमा धरोहर राशि को जब्त कर लिया जाऐगा और आबंटन को रद्ध करने बारे काय्रवाही अमल में लाई जाऐगी।

29. निलाम की जाने वाली सम्पतियों बारे अधिक जानकारी हेतू अधीक्षक सम्पदा नगर निगम शिमला के कार्यालय में दूरभाष नम्बर 0177-2802779 व निगम की वेबसाईट WWW.Shimlamc.org पर प्राप्त कर सकते हैं।

आयुक्त,
नगर निगम शिमला।